ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 223-225

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

भारत में आतंकवाद तथा उससे निपटने की रणनीति : एक मूल्यांकन

1. प्रो0 सतीश चन्द्र पाण्डेय
2. कृष्ण भूषण शुक्ल

1. आचार्य, 2. शोध अध्येता– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0) भारत

Received-09.06.2023, Revised-15.06.2023, Accepted-20.06.2023 E-mail: krishnabhushanshukla@gmail.com

सारांशः ***प्राचीन काल से ही हर समाज में हिंसा सदैव किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है और सार्वजनिक और सर्वमान्य विचारों में निषिद्ध भी रही है। इसे मान्यता देने और प्रयोग करने वाले लोग भी अल्पमत में रहे हैं, किंतु इस प्रगतिशील बदलते परिवेश में एक व्यापक पैमाने पर 'आतंकवाद' नाम से एक विचार धारा के तौर पर जो मान्यता हिंसा को मिली है, वह न केवल हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है। आज सारा विश्व आतंकवाद के किसी न किसी रूप से त्रस्त एवं चिंतित है। भारत में भी आतंकवाद ने अपनी जड़े फैलाने का प्रयास किया है और सीमा पार से मिल रहे समर्थन के कारण इसमें काफी हद तक सफल भी रहा है। भारत विश्व में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, इस विशाल देश में अनेक धर्म, भाषाएं एवं जातियां होने के बावजूद एक ऐसे सांस्कृतिक सूत्र में बधा है, जिसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता, लेकिन पिछले कुछ दषकों से आतंकवाद ने हमारे देश की एकता और अखंडता के सामने कई चुनौतियां पेश की हैं। अगर हम इस समस्या से कामयाबी से लड़ सके तो एक विश्व शक्ति बनने के सपने को साकार कर सकेंगे। भारत सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत भी है और इस समस्या से निपटने के लिए सैन्य शक्ति के साथ–साथ विकास की शक्ति का भी प्रयोग कर रही है। इस प्रयास में काफी हद तक सफलता भी प्राप्त हो रही है और भारत में होने वाली आतंकी घटनाओं में कमी दर्ज हुई है। इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर, केंद्रीय सुरक्षा एवम आसूचना एजेंसियों की मदद से तमाम प्रयास कर रही है, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे है।***

कुंजीभूत शब्द– आतंकवाद, अलगाववाद, खालिस्तान, प्रवर्तन, विघटनकारी, सकारात्मक परिणाम, खतरनाक, प्रगतिशील, अखंडता।

आतंकवाद का सरल अर्थ भय उत्पन्न कर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत कुछ भी हो सकते हैं। अतः आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है अपितु एक तरीका, एक प्रक्रिया या फिर एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई राज्य, राजनीतिक संगठन या धार्मिक उन्मादी अथवा अलगाववादी संगठन अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। एलेक्स पी. स्मिड के अनुसार, "किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्देशित और विशिष्ट व्यक्तियों के समूह अथवा आम जनता के मन में आतंक की स्थिति उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेत अथवा सुविचार सभी आपराधिक कार्य आतंकवाद में शामिल है"।

आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम 1987 के अनुसार, "जो कोई भी कानून द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने अथवा लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने अथवा उन्हें मारने या विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के आशय से बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ अथवा ज्वलनशील पदार्थ या घातक हथियारों अथवा हानिकारक गैसों अथवा अन्य रसायनों या खतरनाक प्रकृति के अन्य किसी पदार्थ (जैविक या अन्य) का इस तरीके से प्रयोग करते हुए कोई कार्य करता है, जिससे व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु हो अथवा उन्हें चोट पहुंचे अथवा किसी व्यक्ति को रोके या सरकार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने से अलग रहने के लिए बाध्य करने हेतु लोगों को मारने की धमकी देता है, वह अपनी प्र.ति में एक आतंकवादी कार्य करता है।" आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 (पोटा) आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार करते हुए आतंकवादी कार्य में आतंकवाद हेतु वित्तीय साधन जुटाने को भी शामिल करता है।

आतंकवाद को परिभाषित करने के तमाम प्रयासों के बावजूद यह आश्चर्यजनक है कि आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति के बावजूद आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कोई परिभाषा अभी तक नहीं दी जा सकी है। आतंकवाद को एक परिभाषा के दायरे में लाना एक बहती नदी को कुएं में समाने जैसा है क्योंकि किसी व्यक्ति, स्थान, समूह या देश–विदेश के लिए जो आतंकवादी या देशद्रोही है, वही दूसरे व्यक्तियों, समूह या देश के लिए देशभक्त या स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में आ सकता है या रखा जा सकता है जिंदा या मुर्दा जो आतंकवादी किसी विशेष दृष्टिकोण वाले समूह में घृणा का पात्र होता है या कानून का गुनाहगार होता है, वही दूसरों के लिए देशभक्त का दर्जा रखता है और मरने पर शहीदों की सूची में अपना नाम दर्ज कराता है यह विरोधाभास आतंकवाद को परिभाषित करना कठिन कर देता है।

अपने उद्भव के समय से ही भारतीय समाज एक कठोर आचरण–संहिता से संचालित होता रहा है जहां सदैव से हिंसा निषिद्ध रही है लेकिन हमारी धरती पर बार–बार होने वाले विदेशी आक्रमणों, विदेशी घुसपैठ और बाहरी संस्.ति के आगमन से हमारे नैतिक मूल्य फीके पड़ गए और हिंसा, अहिंसा पर हावी होने लगी तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही बंटवारे के समय हुई अप्रत्याशित सांप्रदायिक हिंसा, जम्मू एवं कश्मीर विलय के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद तथा 1980 के दशक में पंजाब राज्य में पड़ोसी देशों द्वारा समर्थित हिंसा का जो दौर आतंकवाद के रूप में प्रारम्भ हुआ। वह तब से लेकर आज तक अनवरत रूप से अलग–अलग स्वरूपों में संपूर्ण देश में जारी है, जो भारत की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर समस्या बना हुआ है। पाकिस्तान द्वारा भारत से हुए सभी युद्धों में हार का सामना करने के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध आरंभ कर दिया गया। वह सीमा पर अस्थिरता बनाए रखने के साथ ही आतंकवादियों एवं अलगाववादियों को वित्त पोषित करने के साथ–साथ आतंकियों को प्रशिक्षण तथा हथियार उपलब्ध कराता है, जिससे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एवं अलगाववाद को बढ़ावा मिले, भारत इसी सीमा पर आतंकवाद से दशकों से पीड़ित है। इसके अलावा पाकिस्तान एवं उसकी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई.एस. छद्म युद्ध के तहत

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

भारत की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग कर दुष्प्रचार को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर में इस्लामीकरण को बढ़ावा, कट्टरपंथी गतिविधियों को प्रोत्साहन, जम्मू एवं कश्मीर मुद्दें का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, आतंकियों की भारत में घुसपैठ करवाना इत्यादि गतिविधियों का संचालन करती है। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का सबसे बड़ा पोषक पाकिस्तान है। वह नहीं चाहता कि भारत आंतरिक रूप से स्थिर हो एवं विकास की राह पर आगे बढ़े पाकिस्तान में उग्रवादियों के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण शिविर संचालित होते हैं। कश्मीर मुद्दें का अंतर्राष्ट्रीय करण करने के लिए पाकिस्तान समय–समय पर इसे संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य अंर्तराष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। विदित है कि जम्मू–कश्मीर में मुट्ठी भर लोग अलगाववाद एवं आतंकवाद का झंडा उठाए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग समय–समय पर होने वाले संसदीय तथा राज्य विधानसभा के चुनावों में भाग लेकर प्रजातंत्र एवं सरकार में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2019 में धारा 370 व 35ए के निरसन के पश्चात जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी दर्ज की गई है।

जम्मू–कश्मीर के अलावा पंजाब दूसरा ऐसा राज्य हैश जहां पिछले कुछ समय से आतंकवादी व अलगाववादी (खालिस्तानी) गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है। विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी संगठन न सिर्फ खालिस्तान के नाम पर एक अवैध जनमत संग्रह कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में करा रहे हैं, बल्कि काफी समय से भारतीय दूतावास, हिंदू मंदिरों और भारतीय समुदाय के लोगों को इन देशों में निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सुरी की हत्या मीडिया के कैमरों और दर्जन भर से अधिक पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कर दी गई तथा पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर राकेट से हमला हुआ और पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान की ओर से आए एक भारी ड्रोन को भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा पकड़ा गया था जिससे एक के–47 राइफल बंधी थी।

अजनाला थाने पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब को आगे रखकर किस तरह हमला किया गया। अजनाला में खालिस्तान समर्थकों को मिली सफलता के बाद खतरा यह बन गया कि अगर इसी तरह धार्मिक प्रतीकों को आगे रखकर अलगाववादी तत्व सड़कों पर हिंसा करने लगे तो शासन प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती थी। भारत में ऐसा कम ही होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पनप रहे किसी खतरे को समय रहते समाप्त करने का प्रयास किया जाए, पर कम से कम इस बार प्रयास होता दिख रहा है पंजाब पुलिस की कार्यवाही के बाद "वारिस पंजाब दे" संगठन की कमर टूट गई है। परंतु खालिस्तानी आतंकवाद का खतरा पंजाब से पूरी तरह टला नहीं है। यह सही है कि "वारिस पंजाब दे" के विरुद्ध कार्यवाही के बाद भी पंजाब में अपेक्षा से अधिक शांति बनी रहे परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 1984 में आपरेशन 'ब्लू स्टार' जैसी बड़ी कार्यवाही के बाद भी पंजाब के सड़कों पर वैसा भारी विप्लव देखने को नहीं मिला जैसा सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा था लेकिन समय बीतने के साथ खालिस्तानी आतंकवादियों ने नेताओं, सरकारी अधिकारियों और निर्देश लोगों विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यकों पर घात लगाकर हमले शुरू कर दिए थे। संत हरचरण सिंह लोंगोवाल जैसे सम्मानित सिख नेता की भी हत्या खलिस्तानियो ने ही की थी। ऐसे में केंद्र और राज्य सुरक्षा एजेंसियों को निरंतर सजग रहना होगा। खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारत में कई आतंकी हमले किए जा चुके हैं सबसे बड़ा आतंकी हमला जून 1985 में कनाडा से आ रही एयर इंडिया की उड़ान एआई–182 पर बम धमाके के रूप में अंजाम दिया गया था जो भारत के उड्डयन इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला है।

भारत में हुए प्रमुख आतंकवादी हमले– भारत में आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभिक तौर पर आईएसआईएस समर्थित आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद तथा सीमावर्ती पंजाब राज्य में अलगाववाद के रूप में सामने आई, जो धीरे–धीरे भारत के अन्य भागों में फैल गयी। इनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित है :

- 1993 मुंबई में हुआ विस्फोट जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए।
- तालिबान के सहयोग से हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा एयर इंडिया के हवाई जहाज आईसी–814 का अपहरण किया जाना।
- वर्ष 1998 में कोयंबटूर में चुनावी रैली में बम विस्फोट जिसमें लगभग 58 लोग मारे गए।
- वर्ष 2000 में लाल किले पर किया गया आतंकी हमला।
- वर्ष 2001 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद पर हुआ आतंकवादी हमला।
- वर्ष 2001 में लश्कर–ए–तैयबा और जैश–ए–मोहम्मद के द्वारा मिलकर भारतीय संसद पर किया गया आतंकी हमला।
- वर्ष 2002 में अक्षरधाम मंदिर (गुजरात) पर हुआ आतंकी हमला।
- वर्ष 2003 में मुंबई में सीरियल बम विस्फोट जिसमें लगभग 68 लोग मारे गए।
- वर्ष 2005 में दिल्ली में बम विस्फोट जिसमें लगभग 70 लोग मारे गए।
- वर्ष 2005 में राम जन्मभूमि पर हुआ आतंकवादी हमला।
- जुलाई 2006 में मुंबई बम विस्फोट।
- जुलाई 2008 में अहमदाबाद बम विस्फोट।
- लश्कर–ए–तैयबा द्वारा मुंबई में किया गया 26/11 का हमला जिसमें लगभग 171 लोग मारे गए।
- आई एम द्वारा वर्ष 2011 में मुंबई में किया गया, सीरियल बम ब्लास्ट जिसमें लगभग 26 लोग मारे गए।
- वर्ष 2013 में आई एम द्वारा बिहार के बोधगया में किया गया बम विस्फोट।
- वर्ष 2016 में पठानकोट पर हमला जिसमें 7 लोग मारे गए तथा उरी सैन्य शिविर पर जैश–ए–मोहम्मद द्वारा हमला जिसमें

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

लगभग 23 सैनिक शहीद हुए।

– वर्ष 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हुए। वर्ष 2019 में हुए पुलवामा हमले के पश्चात से अभी तक कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है तथा भारत में होने वाले आतंकवादी हमलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2014 में जहां यह संख्या 729 थी वह 2022 में घटकर 414 रह गयी व 2023 (मार्च 2023) में अभी तक 69 है।

आतंकवाद से निपटने की भारत की रणनीति– 18 सितंबर 2019 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले, जिसमें 16 जवान शहीद हो गए और 30 अन्य घायल हुए थे, के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां भारत द्वारा पाकिस्तानी आतंक के जवाब में 28–29 सितंबर की रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। इसके बाद पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी. एफ.) के काफिले पर हुए फिदायीन हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया। एयर स्ट्राइक विदेशी धरती से भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी आतंकी शिविर को खत्म करने के भारत के संकल्प की अगली कड़ी थी। इसके साथ ही भारत में इन हवाई हमलों को आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्यवाही बताते हुए यह स्पष्ट किया, कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने या उसके नागरिकों को लक्षित करके किया गया हमला नहीं था। 1971 के भारत–पाक युद्ध के बाद यह पहला अवसर था जब भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की, इसके साथ ही यह भी पहली बार हुआ जब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश की सेना ने दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न देश की सीमा के भीतर जाकर पारंपरिक तरीके से बमबारी किया हो। आतंकवाद के खतरों से निपटने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण के तहत सामाजिक आर्थिक विकास एक प्राथमिकता है, तॉकि समाज के कमजोर वर्ग आतंकवादियों के प्रचार का शिकार न बने और उन्हें धन और समानता सुनिश्चित कराई जाए एवं साथ ही प्रशासन का लोगों की सही और दीर्घकालीन शिकायतों के प्रति उत्तरदाई होना आवश्यक है। तॉकि इनका तत्काल निवारण किया जा सके और उनका आतंकवादी गुटों द्वारा शोषण न किया जा सके। आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए कठोर उपाय आवश्यक हैं, परंतु मानव अधिकारों का सम्मान करना भी उतना ही आवश्यक है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रबंधन एजेंसियों के उपयुक्त कानूनी ढांचें, पर्याप्त प्रशिक्षण अवसंरचना, उपकरण और आसूचना से समर्थन किया जाना होगा। आतंकवाद के जोखिम से निपटने हेतु व्यापक रणनीति अपेक्षित है जिसमें विभिन्न हितधारकों, सरकार, राजनीतिक पार्टियों, सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक समाज और मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इस रणनीति को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक पुलिस और अन्य उपायों के साथ साथ सम्मिलित करना चाहिए। इस तरह की बहुआयामी रणनीति के आवश्यक तत्व को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है :

1. आतंकवादियों की विनाशक गतिविधियों का प्रतिरोध करना– आतंकवादियों का प्रतिरोध करने के लिए सैनिक उपायों के साथ–साथ नागरिक उपायों पर भी जोर दिया जाना चाहिए। पुलिस का खुफिया तंत्र के सहयोग से सूचना सेवाओं और प्रचार माध्यम का प्रबंधन इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

2. क्षमता निर्माण– खुफिया तंत्र सुरक्षा एजेंसियों नागरिक प्रशासन और संपूर्ण समाज को क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

3. सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास– देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक स्वच्छ, भ्रष्टाचार मुक्त और सभी स्तरों पर जवाबदेह प्रशासन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जिससे सभी को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके।

4. राजनीतिक सर्वसम्मति– आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय संघीय सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श से कार्य करना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता और पिछड़े क्षेत्रों के विकासात्मक मुद्दों पर बल देने हेतु सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक हितों को परे रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माने।

5. कानून के शासन की सुनिश्चितता– सरकारी एजेंसियों को आतंकवाद द्वारा उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए पुलिस और सुरक्षाबलों को कुछ बुनियादी आचार संहिता का पालन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Schmid, P. Elex "western Responses to Terrorism" Routledge Publishers, 2012
2. http // www.legislative.gov.in.
3. http// www.nhrc.in
4. Dang,Satyaal,"Terrosism in Punjab" Gyan Publishing House,Delhi,2000
5. बाथम, मनोहरलाल और विश्वकर्मा, शिवचरण ''आतंकवाद चुनौती और संघर्ष'' मेधा बुक्स, दिल्ली, 2006
6. सोती, दिव्य कुमार, दैनिक जागरण, संपादकीय, 1 अप्रैल 2023, नई दिल्ली
7. काटजू, विवके, दैनिक जागरण, संपादकीय, 6 अप्रैल 2023, नई दिल्ली
8. http//www.satp.org
9. http//www.visionofhumanety.org
10. https//www.icwa.in

*****